न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
किशनलाल बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/37
प्रकरण संख्या 20 / 2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 20 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 37

1. किशनलाल पुत्र गंगारामजी जाति चमार निवासी नरसिंहगढ तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मु० हगामी पत्नि गंगारामजी जाति चमार निवासी नरसिंहगढ तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थीगण

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहव चित्तौडगढ राज० निम्बाहेडा जिला

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 12.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया की प्रार्थीगण कि खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा नरसिंहगढ प०ह० बाडी तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 26 के आराजी नं0 429 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ग०मु०चाह० स्थित हैं जिसके पूराने साबिक आराजी नं0 409 / 202 है। साक्ष्य में नकल जमावंदी पेश हैं।

2. वर्णित आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व साविक आराजी नं0 407 / 202 थे, उक्त आराजी के नये आराजी नं0 429 जो पूराने नक्षे ट्रेस में सही रुप से दर्ज थे, किन्तु नवीन नक्षा ट्रेस में सेटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा अपने मन मर्जी से व अपने अधिकारो का दुरुपयोग करते हुवे बिना किसी हक अधिकार के गलत तरीके से राजस्व नक्षे में गलत रुप से तरमीम कर दी गई, राजस्व कर्मचारियों की [illegible] राजस्व नक्षे मे गलत तरमीम कर दिया हैं। जबकि मौके पर [illegible] आराजी चाह का होकर उपयोग उपभोग कर [illegible] उक्त तरमीम को दुरुस्त करवाने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

3. वर्तमान में नये सेटलमेन्ट होने के बाद प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जो पूराने नक्षा ट्रेस मे सही रुप से तरमीम थी परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस मे गलत रुप से तरमीम कर दिया है। जहां पर प्रार्थीगण काबिज है वहां पर प्रार्थीगण का

नक्शाट्रेस मे अंकन सही रुप से नही किया है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजी जिसके पुराने आराजी नम्बरान को नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर दिया हैं, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर अपने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार मौके पर शान्तिपुर्ण रुप से कब्जा चला आ रहा है उक्त आराजीयात को नवीन नक्शाट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेन्ट में नक्शाट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया है। तथा उक्त नक्शा ट्रेस मे अंकन पूर्व साबिक आराजी के राजस्व नक्षे अनुसार नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्शाट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार, एवं पूर्व साबिक आराजी के राजस्व नक्षे अनुसार अंकन कर नवीन नक्शाट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। 4. यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क 2 रुपये पर पेश है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त वर्तमान सेटलमेन्ट में आराजी नं0 429 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे०मु०चाह भूमि का नवीन नक्शाट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर चाह नम्बर स्थित अनुसार, तथा पूर्व साबिक राजस्व नक्षे अनुसार, मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्त कर नवीन नक्शाट्रेस में तरमीम किये जाने की कृपा करावें।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब मय अनुशंषा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः– आराजी नम्बर 202 के टुकेडे थे उनको एक कर नये नम्बर बनाए जिसमे कुए के 429 एवं भूमि के 430 बने। साबिक नक्शे का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि पुरानी जमाबन्दी में कुआ दर्ज रेकार्ड नहीं था जिससे पुराने नक्शे में भी किसी प्रकार का कुआ नहीं था। नया कुआ होने से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कुआ दर्ज रेकार्ड किया गया है। साबिक रेकार्ड में कुआ नहीं होने से पुराने रेकार्ड से नये रेकार्ड में त्रुटी का प्रकरण जाहिर नहीं आया है। नक्शे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई गई।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in a record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम नरसिंहगढ प०ह० बाडी तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 26 के आराजी नं0 429 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ग०मु०चाह० स्थित हैं जिसके पूराने साबिक आराजी नं0 409/202 है किन्तु सेटलमेन्ट में चाहा नम्बर 429 रकबा 0.0100 हैक्टेयर का राजस्व नक्शे में जहा मौके पर कुआ स्थित है वहा पर चाह नम्बर 429 की राजस्व नक्शे की तरमीम नहीं की जाकर आराजी नम्बर 429 की तरमीम राजस्व नक्शे में अन्य जगह कर दी गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर मौके पर कुआ स्थित है उस जगह आराजी नम्बर 429 की तरमीम मौके अनुसार उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नरसिंहगढ प०ह० बाडी तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 429 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ग०मु०चाह० की राजस्व नक्शे में भिन्नता होने से मौके पर जहा कुआ स्थित है उस अनुसार आरजी नम्बर 429 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:13 IST
Reason: SelfAttested